

न्यायालय श्री मान् सदस्य महोदय राजस्व मण्डल गवालियर सर्किट

379

कोटे रोवा, जिला रीवा म०प०  
निगरानी प्रकरण क्रमांक R. 5106-5/15  
प्रति 2015

श्री. रामेश कुमार कौरी कौरी कौरी कौरी  
द्वारा आज दिनांक 13-9-15  
प्रस्तुत किया गया।  
सेठ  
सर्किट कोर्ट रोवा

कोटे रोवा, जिला रीवा म०प०  
निगरानी कौरी कौरी कौरी कौरी

1- बुद्धा हरिजन : साकेतः पिता स्व० तेजा हरिजन

2- राजेश हरिजन : साकेतः पिता बुद्धा हरिजन : साकेतः उम्र 28 साल

निवासीग्राम बेला अहरी टोला? तहसील रघुराजनगर जिला सतना

म०प० ----- आवेदकाण्ठ निगरानी

विरन्दु

यदुवीर सिंह तनय अनिश्चित सिंह निवासीग्राम पूरडाग तहसील

रघुराजनगर जिला सतना म०प० ----- अनावेदक गैरनिगरानी

निगरानी विरन्दु आवेद श्रीमान् अपर आयुक्त

महोदय के द्वितीय अपील प्रकरण क०

702/ अपील/ 14-15 मे पारित आवेद दिनांक

18-9-15

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प० मूराजस्व

संक्षिप्तासन 1959 द०

महोदय

प्रकरण का सूक्ष्म तथ्य :-

इस प्रकार हैक मूमि संसाक्ष 49/1ट रक्वा

1- 100 रुपये जो पहले सासन म०प० की मूमि थी, तथा गरीब हरिजन आदिवासियों

10/15

2015

466  
13-10-15

(255)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक...R.S.L.O.E.M/15.....जिला-सतना

विरुद्ध...पटवीर फिल्म  
बुड्डी हरगढ़

(1)

(2)

(3)

(17-1-19)

- आवेदक की ओर से श्री. M.D. O.P. अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक...R.O.I.M/पीला/14/15.....में पारित आदेश दिनांक...18.9.15.....के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक...13-10-18.....प्रस्तुत की गयी है।
- मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।
- इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।

सदस्य

प्रमेण